—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 119/2025

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र नंगा मृतक जरिये वारिसान
1/1. मोहन सिंह
1/2. रेखा
1/3. शंकर सिंह पि. लक्ष्मण समसत जाति रावत निवासी ग्राम मानपुरा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री शिवजी राम गुर्जर

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :— जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 18.8.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 217 रकबा 1—13—0 व 383 रकबा 4—14—0 के हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 0.27, 645 रकबा 0.29 व 649 रकबा 0.26 व 650 रकबा 0.21 की आराजी प्रार्थी के पिता की क्रयशुदा सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता लक्ष्मण पुत्र नंगा ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र भैरू पुत्र सुवा व गुलाब पुत्र रामलाल से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र की पालना नामानतकरण संख्या 73 दिनांक 05.01.2006 द्वारा प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज की गयी। उक्त नामान्तकरण में प्रार्थीगण के पिता की सही जाति रावत अंकित की गयी है किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता की जाति त्रुटिपूर्ण तरीके से जाचक अंकित कर दी गयी है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के पिता की जाति जाचक के स्थान पर रावत सही अंकित की जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम मानपुरा के हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 0.27, 645 रकबा 0.29 व 649 रकबा 0.26 व 650 रकबा 0.21 की आराजी प्रार्थीगण के पिता लक्ष्मण पुत्र नंगा 2/3 हि. व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। [illegible] नम्बर 258 रकबा 0.27, 645 रकबा 0.29 व 649 रकबा 0.26 व 650 रकबा [illegible] के वंर्किग खसरा नम्बर 217 रकबा 1—13—0 व 383 रकबा 4—14—0 है। उक्त [illegible] आराजी प्रार्थीगण के पिता ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार गुलाब पुत्र रामलाल से क्रय की थी [illegible] नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक ,05.04.2006 से उक्त आराजी पर विक्रेता के स्थान पर क्रेता प्रार्थी[illegible] के पिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:16 IST
Reason: SelfAttested

—— 2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नाम दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र, नामानतकरण संख्या 73 में प्रार्थीगण के पिता की जाती रावत ही अंकित है। आधार जमाबंदी में भी आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के पिता की जाहित रावत ही अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी प्रार्थीगण के पिता की जाति रावत ही दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के पिता की जाति अन्य सह खातेदार के साथ जाचक अंकित कर दी है जबकि प्रार्थीगण के पिता की सही व वास्तविक जाति रावत ही है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रार्थीगण इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम मानपुरा के हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 0.27, 645 रकबा 0.29 व 649 रकबा 0.26 व 650 रकबा 0.21 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर लक्ष्मण पुत्र नंगा की जाति जाचक के स्थान पर रावत दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार दुरूस्ती की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:16 IST
Reason: SelfAttested